

दृष्टि के
२७.६.२०२५
Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India
Patna Circle, Patna.

मूल्य: रुपया 500/- मात्र।
(रुपया पांच सौ मात्र)

:1:

Base Price :- 500/- St. No. (

Name of Contractor.....

Date of application.....

Date & time of issue of
Tender from.....

Date & time of - ०५/०७/२०२५

Opening the tender on 12.00 P.M.

निविदा प्रपत्र सं

निविदा—सह—नीलामी प्रपत्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मंडल, वैशाली के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अशोकन स्तम्भ कोल्हुआ, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार में अनुज्ञाप्ति के आधार पर कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा—सह—नीलामी।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा— अधीक्षण पुरातत्वविद्,

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,

पटना अंचल, जे०सी० रोड, अन्ता घाट,

पटना—800001

मैं/हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उप मंडल, वैशाली के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अशोकन स्तम्भ कोल्हुआ, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार में कैफेटेरिया हेतु, ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए एवं अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ अनुज्ञाप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ / हैं।

(क) विवरण— अशोकन स्तम्भ कोल्हुआ, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार में कैफेटेरिया हेतु अनुज्ञाप्ति।

(ख) अवधि— दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.07.2026 तक की अवधि के लिए अनुबंध।

(ग) अग्रिम राशि — रुपये (रुपये.....)
डी०डी० सं०

(घ) निविदित राशि —रुपये (शब्दों में) —

मैं / हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ दिनांक से तक की सविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने^० के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे/हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनका उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं/हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध को निष्पादन का वचन देता हूँ/है।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अग्रिम-राशि के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम सं0 06 के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति- राशि के रूप में परिवर्तित होगा जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:—

गवाह:—

पता एवं व्यवसाय:—

स्वामित्व, बिक्री की स्थिति में निविदा स्वयं स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध-दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

नियम एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उप मंडल, वैशाली के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अशोकन स्तम्भ कोल्हआ, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार में दिनांक **01.08.2025** से दिनांक **31.07.2026** तक एक वर्ष की अवधि के लिए तथा कैफेटेरिया के लिए निर्धारित प्रपत्र का मूल्य 500/- रुपये के साथ अनुज्ञाप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है तथा निविदाकार /निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।
2. निविदाकार /निविदाकर्ता को कैफेटेरिया क्षेत्र को आरंभ करने के पूर्व उचित मुल्य के स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को स्वीकार करने एवं उसके पालन के लिए प्रतिबद्धता हेतु लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदाकार के अग्रिम राशि को जब्त करते हुए उनके सफल दावे को निरस्त समझा जायेगा एवं यह कार्यालय किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार किया जाएगा उन्हें संविदा—प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञाप्ति के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
4. दिनांक **08.07.2025** को **11.30** बजे पूर्वाह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन **12.00** बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार / डाककर्ता के उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं उपस्थित निविदाकार के समक्ष बोली लगायी जाएगी।
5. अवयरक द्वारा दी गई निविदा तबतक स्वीकार नहीं होगा जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगा।
6. निविदाकार /निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 10000/- (रुपया दस हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार होगा उसका अग्रिम राशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट लौटाया नहीं जाएगा तथा ये राशि प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि जो अनुज्ञाप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध—निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कैफेटेरिया स्थल एक विशेष अवधि दिनांक **01.08.2025** से दिनांक **31.07.2026** तक अनुज्ञाप्ति पर दी जाएगी, जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. सफल निविदाकार को तय संविदा राशि का 8% का प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा।

9. निविदाकार को संचालन का पूर्व अनुभव होना चाहिए।
10. सम्पदा यथावत् (As is where is) स्थिति में आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में वापस किया जाना है।
11. कैफेटेरिया के संचालन के निमित्त आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं की जायेगी। कैफेटेरिया संचालन के लिये न्युनतम आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कोई वस्तु विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं लाई जाएगी।
12. निविदाकार को सरकार द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन करना होगा। निविदाकार को परामर्श दिया जाता है कि वे स्मारक परिसर के बाहर यथोचित स्थल तक कूड़ा निष्पादन करने के लिये सक्षम तृतीय पक्ष (Third Party) से अनुबंध सुनिश्चित कर लें।
13. कैफेटेरिया में केवल पैकेटों में उपलब्ध खाद्य सामग्री (Packed Food) की बिक्री की जाएगी। आगन्तुकों की सुविधा हेतु Tea/coffee Vending Machine तथा Water Purifier की व्यवस्था की जा सकती है।
14. यदि लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि में सुव्यवस्थित ढंग से कार्यों का निष्पादन नहीं करते हैं, तो वैसी रिथिति में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
 - (क) लाइसेंसधारी का विहित प्रक्रिया के अनुरूप लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
 - (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना में जमा अग्रिम प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
15. लाइसेंसधारी आवंटित स्थल पर किसी प्रकार का गैर कानूनी / प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे। परिसर का उपयोग सिर्फ उसी व्यवसाय हेतु करेंगे जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञाप्तिधारी इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द कर नहीं रखेंगे।
16. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में लाइसेंसधारी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा अथवा उपयोग किया जायेगा।
17. सम्पदा के परिसर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र को सदैव स्वच्छ रखेंगे। साथ ही कैफेटेरिया के आगे भी साफ-सुथरा रखेंगे।

18. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में सामान्य रख—रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
19. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि में किसी प्रकार की क्षति की भरपाई एक सामान्य समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जायेगा एवं किये गये खर्च को लाइसेंसधारी से 10% सूद के साथ वसूल किया जायेगा।
20. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना अधिकारी उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लाइसेंसधारी द्वारा चलाये जा रहे सम्पदा अथवा व्यवसाय से संबंधित गतिविधि आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
21. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटित सम्पत्ति आदि की सफाई—स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं लाइसेंसधारी द्वारा पर्यटकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं पर्यटकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई यथा लाइसेंस रद्द करने के अतिरिक्त यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
22. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन के उपरान्त अपने खर्च पर स्वलङ्घन रूप से अपने नाम विद्युत मीटर की व्यवस्था करेंगे। कैफेटेरिया संचालन से संबंधित विद्युत विपत्रों का भुगतान निविदाकार स्वयं एवं समय पर करेंगे तथा विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों के अन्दर लाइसेंसकर्ता को उसकी सूचना देंगे।
23. विद्युत हेतु व्यवस्था, न्यूनतम आवश्यक स्तर पर की जाएगी जिसे लाइसेंसधारी के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जाएगा।
24. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित सम्पत्ति आदि को उसी अवस्था में सुर्पुद करेंगे, जिस अवस्था में दिया गया था। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन (एडिशन अथवा अल्टशन आदि) विभागीय पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
25. लाइसेंसधारी के द्वारा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन, किसी प्रकार की जालसाजी या गलत सूचना देने अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायापता होने की जानकारी मिलने पर, लाइसेंसकर्ता के द्वारा उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सारी राशि जब्त कर ली जायेगी।
26. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

27. यह समझा जाएगा कि निविदाकार निविदा के पहले अनुबंध में दर्शाये गये सभी निबंधन एवं शर्तों को अध्ययन कर लिया है तथा उसे अनुपालन हेतु मान्य है।
28. कैफेटेरिया संचालन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अतिरिक्त अन्य निर्धारित सरकारी विभागों के नियमों का भी पालन करना होगा जिसके किसी रूप में उल्लंघन के लिए स्वयं निविदाकार उत्तरदायी होगा।
29. प्रत्येक निविदाकार, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल पटना को संबोधित करेंगे।
30. निविदाकार उक्त कैफेटेरिया स्थल पर किसी उप पट्टा पर नहीं लगाएगा।
31. निविदाकार का कोई भी कर्मचारी, स्मारक के आस—पास अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा और न ही शोरगुल करेगा तथा किसी पर्यटक एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करेगा।
32. निविदाकार परिसर को साफ—सुथरा रखेगा तथा प्राचीन स्मारक पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तथा तत्संबंधी अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
33. निविदाकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करनी होगी तथा उसके क्षति होने की स्थिति में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना उत्तरदायी नहीं होगा।
34. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल को बिना कारण बताये तत्काल प्रभाव से अनुज्ञाप्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
35. स्मारक के खुलने से बन्द होने की अवधि तक ही कैफेटेरिया स्थल पर कैफेटेरिया का संचालन किया जाएगा। यदि निविदाकार के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञाप्ति राशि वापस नहीं किया जाएगा।
36. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता